राज कुमार

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

दाण्डिक अपील सं0 1233/2009

15 जुलाई, 2009

[आर.वी. रविन्द्रन और जे.एम. पांचाल, जे.जे.]

भारतीय दण्ड संहिता 1860- धारा 302- पति ने पत्नी पर पत्थर के चकले से प्रहार किया- पत्नी को अस्पताल ले जाया गया जहां अंत में उसकी मृत्यु हो गयी- अपराध का हैतुक पत्नी द्वारा धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज करवायी गयी कार्यवाही को वापस लेने से इन्कार- दो मृत्युकालिक कथन, एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष और दूसरा हैड कानिस्टेबल के समक्ष दोनों में ही मृतका ने पति को आरोपी बताया- निचले न्यायालयों द्वारा धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्धि- यह विवाद उठाया गया कि जो अपराध किया गया वह हत्या थी या हत्या की कोटि में ना आने वाला आपराधिक मानव वध- अभिनिर्धारित- मृतक पत्नी निहत्थी थी- पति द्वारा मृतक के शरीर के मर्म भाग पर चकले से इतनी शक्ति से प्रहार किया गया कि परिणामस्परूप उसकी मृत्यु कारित हो गयी, स्पष्ट रूप से पति का आशय वही चोट पहुंचाने का था जो अंतत: घातक साबित हुई- चिकित्सकीय साक्ष्य के अनुसार चोटें प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी- पति द्वारा अपराध कारित किया गया है, इसलिए धारा 300 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत हत्या के लिए दण्डित किया जायेगा और उसका मामला धारा 304 के भाग I या भाग II में नहीं आता।

अभियोजन के अनुसार, अपीलकर्ता ने अपनी पत्नी के सिर पर पत्थर के चकले से हमला कर दिया, क्यों कि उसने धारा 125 दं0प्र0सं0 के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ शुरू की गयी भरण-पोषण की कार्यवाही को वापस लेने से इनकार कर दिया था। हमले के परिणामस्वरूप अपीलकर्ता की पत्नी को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मृत्यु हो गयी।

अस्पताल में दो मृत्युकालिक कथन दर्ज किये गये- एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट और दूसरा हैडकानिस्टेबल द्वारा दोनों में ही उसने अपीलककर्ता पर आरोप लगाया था-

निचली अदालतों द्वारा अपीलकर्ता को धारा 302 व 498'ए' भा0दं0सं0 के तहत दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी। इसलिए वर्तमान अपील दायर की गयी।

न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया-

1.1 ऐसा कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है कि जब भी एक ही प्रहार का परिणाम पीडित की मृत्यु हो तो मामला धारा 304 भा0दं0सं0 के भाग I या भाग II में ही आयेगा। एकल प्रहार के प्रत्येक मामले का निर्णय मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए। [पैरा 11] [61-सी-डी]

1.2 जब भी किसी न्यायालय के सामने यह प्रश्न आता है कि क्या अपराध हत्या है या हत्या की कोटि में ना आने वाला आपराधिक मानव वध तो मामले के तथ्यों के आधार पर समस्या का समाधान तीन चरणों में करना सुविधाजनक होगा- प्रथम चरण में विचारणीय प्रश्न यह होगा कि क्या अभियुक्त ने कोई ऐसा कार्य किया है, जिसके द्वारा उसने दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दी है अभियुक्त के कार्य और मृत्यु के बीच का संबंध का प्रमाण दूसरे चरण पर विचार करने के लिए होगा कि क्या अभियुक्त का कार्य धारा 299 में परिभाषित आपराधिक मानव वध के समान है और

यदि इस प्रश्न का उत्तर प्रथमदृष्टया सकारात्मक पाया जाता है तब भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 के क्रियान्वयन पर विचार करने का चरण शुरू होगा और यह वह चरण है, जिस पर न्यायालय को यह निर्धारित करना चाहिए कि अभियोजन द्वारा क्या ऐसे तथ्य साबित किये गये हैं जो धारा 300 भा0दं0सं0 में परिभाषित हत्या के चार खण्डों में से किसी एक के दायरे में आते हैं और यदि इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है तो अपराध हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध की श्रेणी में आयेगा जो धारा 304 भा0दं0सं0 के भाग I या भाग II में दण्डित किया गया है और जो इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या धारा 299 भा0दं0सं0 खण्ड दूसरा या तीसरा लागू होगा। यदि यह प्रश्न सकारात्मक पाया जाता है लेकिन मामला धारा 300 भा0दं0सं0 के किसी अपवाद के अन्तर्गत आता है, तब भी अपराध भा0दं0सं0 की धारा 304 के पहले भाग के तहत दण्डनीय हत्या की कोटि में ना आने वाला अपराध होगा। हालांकि उपरोक्त तथ्य केवल व्यापक दिशानिर्देश है कठौर अनिवार्यताएं नहीं है। [पैरा 12] [61-ई-एच: 62-ए-बी]

2. वर्तमान मामले में मृतक के दो मृत्युकालिक कथन दर्ज किये गये थे- एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा और दूसरा हैडकानिस्टेबल द्वारा दोनों ही मृत्युकालिक कथनों में मृतका ने संबंधित घटना का सिलसिलेवार विवरण दिया है, दोनों ही मृत्युकालिक कथनों में उसने कहा था कि क्योंकि उसने अपीलकर्ता के खिलाफ शुरू की गयी भरण-पोषण की कार्यवाही को वापस लेने से इनकार कर दिया था, इसलिए अपीलकर्ता ने उसके कमरे में प्रवेश किया और उसके सिर पर छडी से हमला किया था। मृतक पत्नी के पास ऐसा कोई कारण नहीं था कि वह अपने पति को इतने गंभीर मामले में झूंठा फंसाती और असली अपराधी को जाने देती। मृतका के पास अपीलकर्ता को पहचानने का पूर्ण अवसर था, जब अपीलकर्ता द्वारा दरवाजा खटखटाया गया तो मृतका ने ही उसे कमरे में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। सत्र न्यायालय के समक्ष

दर्ज किये गये बाल गवाह [अपीलकर्ता का नाबालिग बेटा] की गवाही भी यह स्पष्ट करती है कि अपीलकर्ता ही वह व्यक्ति था जिसने मृतका के सिर पर चोट पहुंचायी थी। हालांकि इस बाल गवाह से जिरह की गयी थी, लेकिन उसकी विश्वसनीयता पर उठाये गये सवालों से ऐसा कोई भी तथ्य रिकार्ड पर नहीं आ सका, जिससे बचाव पक्ष प्रथमदृटया यह साबित नहीं कर सका कि बाल गवाह ने न्यायालय के समक्ष सिखाया हुआ विवरण दिया था। उसके द्वारा पहले दिये गये पुलिस बयानों में ऐसा कोई भी भारी विरोधाभाष या सुधार प्रकाश में नहीं लाया जा सका। बाल गवाह की साक्ष्य पर विश्वास ना किये जाने का कोई कारण नहीं था। पत्रावली पर आयी साक्ष्य का पुन: विश्लेषण करने से यह स्पष्ट है कि सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष कि अपीलकर्ता भी मृतका के सिर पर लगी घातक चोट का कर्ता था।

3. अभियोजन पक्ष द्वारा यह तथ्य संदेह से परे साबित किया गया कि अपीलकर्ता ने मृतका के सिर पर चकले से वार किया था और उसका यह कार्य भी मृतका की मृत्यु का कारण बना था। मृतका के शव का अंत:परीक्षण करने वाले चिकित्सकीय अधिकारी की सकारात्मक साक्ष्य से यह तथ्य पूर्णतया प्रमाणित होता है कि मृतका को कारित की गयी चोट प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी जो इस मामले को धारा 302 भा0दं0सं0 के खण्ड 3 की परीधि में लाती है। जो कि यह परिभाषित और स्पष्ट करती है कि कब एक अपराधिक मानव वध हत्या होगा। [पैरा 13] [62-सी-ई]

4. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 105 अभियुक्त पर यह दिखाने के लिए सबूत का भार अधिरोपित करती है कि उसका मामला भारतीय दण्ड संहिता में दिये गये अपवादों में से किसी एक के अन्तर्गत आता है। जहां किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगाया जाता है तो उसका मामला भारतीय दण्ड संहिता के तहत किसी भी सामान्य अपवाद के भीतर या किसी विशेष अपवाद या संहिता के किसी अन्य

भाग में विहित प्रावधान के भीतर हाता है तो भीतर आने वाली परिस्थितियों को साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होगा और न्यायालय ऐसी परिस्थितियों की अनुपस्थिति की उपधारणा करेगी। उक्त धारा में दिया गया दृष्टान्त 'ख' यह बताता है कि "ए पर किसी हत्या का आरोप है जो यह कथन करता है कि अचानक वह गंभीर प्रकोपन ने उसे आत्मनियंत्रण की शक्ति से वंचित कर दिया था, तो यह साबित करने का भार ए पर है।" जब अपीलकर्ता का धारा 313 दं0 प्र0 सं0 के तहत बयान दर्ज किया गया था तब उसने अपने मामले को धारा 300 भा0 दं0 सं0 के अपवाद 1 के भीतर लाने वाली परिस्थितियों के अस्तित्व का उल्लेख नहीं किया था। इसलिए न्यायालय द्वारा ऐसी परिस्थितियों के अनुपस्थिति की उपधारणा करना सही था। [पैरा 13] [62-एफ-एच; 63-ए-बी]

5. मृतका ने अपने दो मृत्युकालिक कथनों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि जब उसने भरण-पोषण की कार्यवाही वापस लेने की अपीलकर्ता की मांग को वापस लेने से इनकार कर दिया तो अपीलकर्ता ने उसके सिर पर पत्थर से हमला कर दिया था। धारा 300 भा0 दं0 सं0 के अपवाद 1 में कुछ प्रावधान है पहले प्रावधान में यह कहा गया है कि वह प्रकोपन किसी व्यक्ति की हत्या करने के लिए अपराधी द्वारा प्रतिहैतुक के रूप में इप्सित ना हो या स्वेच्छया प्रकोपित ना हो। यहां इस मामले में पत्नी, जो अपीलकर्ता द्वारा उपेक्षित थी और अपना और अपने बेटे का भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं थी, अपीलकर्ता के खिलाफ भरण-पोषण की कार्यवाही दायर करना उचित था। अपीलकर्ता इस बात पर जोर नहीं दे सकता था कि उसके खिलाफ भरण-पोषण की कार्यवाही मृतका द्वारा वापस ले ली जानी चाहिए, इसके अलावा जब एक महिला, जो अपने पति के खिलाफ भरण-पोषण की कार्यवाही करने के लिए हकदार है, अपने पति द्वारा भरण-पोषण की कार्यवाही को वापस लेने की, की गयी अनुचित मांग को मानने से इन्कार कर देती है यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसी अनुचित मांग को मानने से

इनकार करना अपराधी के लिए गंभीर और अचानक प्रकोपन होगा जो भा0 दं0 सं0 की धारा 300 के अपवाद 1 के अर्थ में हो। मामले के तथ्य स्पष्ट रूप से यह दर्शित करते हैं कि तथाकथित प्रकोपन अपीलार्थी स्वयं द्वारा अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए इप्सित था। परिणामस्वरूप अपीलार्थी धारा 300 भा0 दं0 सं0 के अपवाद 1 के प्रावधान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। [पैरा 13] [63-सी-एच]

6. पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य से यह दर्शित है कि मृतका पूरी तरह से निहत्थी थी, अपीलकर्ता ने मृतका के शरीर के मर्म भाग पर अर्थात सिर पर चकले से वार किया था और वार इतनी जोर से किया था कि उसकी मृत्यु हो गयी। अपीलकर्ता का मामला यह नहीं है कि मृतका के सिर पर चोट आकस्मिक थी और ना ही अपीलकर्ता का मामला यह है कि अपीलकर्ता का आशय शरीर के किसी अन्य भाग पर प्रहार करना था और मृतका के अचानक हस्तक्षेप या हिलने-ढुलने से प्रहार सिर पर हो गया था। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों से यह माना जायेगा कि अपीलकर्ता का आशय वही चोट पहुंचाने का था जो मृतका के लिए अंतत: घातक साबित हुई। चिकित्सकीय साक्ष्य से पता चलता है कि मृतका को आयी चोटें प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी और इसीलिए अपीलकर्ता द्वारा किया गया अपराध भा0 दं0 सं0 की धारा 302 के तहत हत्या के रूप में दण्डनीय होगा और उसका मामला धारा 304 भा0 दं0 सं0 के पहले भाग या दूसरे भाग के अन्तर्गत नहीं आयेगा। [पैरा 13] [64-ए-डी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार:आपराधिक अपील संख्या-2009/1233

उच्च न्यायालय बम्बई नागपुर पीठ, नागपुर की दाण्डिक अपील सं0 230/2002 में पारित निर्णय व आदेश दिनांकित 25.09.2006 से

कुमुदलता दास अपीलार्थी की ओर से

रविन्द्र केशवराव, उत्तरदाता की ओर से

न्यायालय का निर्णय जे.एम. पांचाल, जे. के द्वारा दिया गया

1. अनुमति दी गयी।

2. अपीलकर्ता ने 2002 की आपराधिक अपील संख्या 230 में उच्च न्यायालय, बॉम्बे, नागपुर पीठ, नागपुर द्वारा दिए गए 25 सितंबर, 2006 के फैसले को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय यवतमाल द्वारा सेशन प्रकरण सं0 108/1995 में दिनांक 21 फरवरी, 2002 को निर्णय दिया जाकर अपीलकर्ता को धारा 302 व 498 भा0 दं0 सं0 में दोषसिद्ध किया जाकर उसे आजीवन कठोर कारावास और 500/- रूपये जुर्माना अदम अदायगी एक माह का अतिरिक्त कारावास धारा 302 भा0 दं0 सं0 में और एक वर्ष के कठोर कारावास और 500/- रूपये जुर्माना अदम अदायगी एक माह का अतिरिक्त कारावास से धारा 498'ए' भा0 दं0 सं0 में दण्डित करने के निर्णय की पुष्टि की गयी थी।

3. मामले के रिकॉर्ड से निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं। अपीलकर्ता का विवाह मृतका प्रमिला से हुआ था। प्रश्नगत घटना 12 नवंबर 1994 को हुई थी। विवाह के दौरान मृतका ने संगम नाम के एक लड़के को जन्म दिया। अपीलकर्ता मृतक के साथ दुर्व्यवहार करता था। इसलिए, उसके भाई ईश्वर संभाजी काहिरे उन्हें ग्राम बेलोरा ले आए, फिर उनके मध्य एक समझौता हुआ और मृतका को पुन: उसके वैवाहिक घर भेज दिया गया। हालाँकि, उसके बाद भी अपीलकर्ता ने मृतका के साथ दुर्व्यवहार करना जारी रखा। अत: उसका भाई उसे पुनः ग्राम बेलोरा वापस ले आया। चूंकि मृतका के पास अपना और अपने बेटे का भरण-पोषण करने का कोई साधन नहीं था, इसलिए उसने अपीलकर्ता से भरण-पोषण प्राप्त करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के तहत कार्यवाही दायर की थी। मृतका के भाई ने मृतका और उसके बेटे के

लिए वाणी में दादाजी शंकर गणफडे नामक व्यक्ति का एक कमरा किराए पर लिया था। मृतका और उसका चार वर्ष का बेटा उक्त किराए के कमरे में रहते थे और लड़का शिक्षा ले रहा था। लगभग डेढ़ महीने के बाद अपीलकर्ता ने मृतका से मिलना शुरू कर दिया और उस पर भरण-पोषण पाने के लिए शुरू की गई कार्यवाही वापस लेने का दबाव डालने लगा।

11 नवंबर, 1994 को अपीलकर्ता अपने गांव लालगुडा से शाम के समय मृतका के कमरे में गया और मृतका से भरण-पोषण की कार्यवाही वापस लेने के लिए कहा। हालाँकि, चूँकि मृतक के पास अपना और अपने बेटे का भरण-पोषण करने का कोई साधन नहीं था, इसलिए उसने कार्यवाही वापस लेने से इनकार कर दिया। पुनः 12 नवम्बर 1994 को प्रातः लगभग 4-00 बजे अपीलार्थी मृतका के कमरे में गया। उस समय मृतका और उसका बेटा संगम सो रहे थे, अपीलकर्ता शराब के नशे में वहां आया था। अपीलकर्ता द्वारा दरवाजा खटखटाए जाने पर, मृतका ने दरवाजा खोला और इस तरह अपीलकर्ता मृतका के कमरे में प्रवेश कर गया। कमरे में प्रवेश करते ही अपीलकर्ता ने मृतका की गर्दन दबा दी लेकिन मृतका ने खुद को अपीलकर्ता के चंगुल से छुड़ा लिया। इसके बाद, अपीलकर्ता ने पत्थर का चकला उठाया और मृतका के सिर पर वार किया। चोट लगने के कारण मृतका के शरीर से खून बहने लगा। अपीलकर्ता ने कमरे में पड़ी कुछ रकम ले ली और भाग गया। मृतका का पुत्र जोर-जोर से रोने लगा। उसकी चीख ने मकान मालिक दादाजी शंकर गणफडे का ध्यान आकर्षित किया। दादाजी ने अपनी पत्नी और अन्य किरायेदारों को जगाया और मृतका के कमरे में पहुंचे। कमरे में प्रवेश करने पर देखा कि मृतका गंभीर रूप से घायल अवस्था में पडी हुई थी। पूछताछ करने पर, मृतका ने उन्हें और अन्य किरायेदारों को बताया कि उसने भरण-पोषण की कार्यवाही वापस लेने से इनकार कर दिया था, इसलिए उसके पति ने उसके सिर पर

छड़ी से वार किया था। घर के मकान मालिक और अन्य किरायेदारों ने मृतका को तुरंत वानी अस्पताल में भर्ती कराया।

चिकित्सा अधिकारी, जो ग्रामीण अस्पताल, वानी के प्रभारी थे, ने सुबह लगभग 5-00 बजे पुलिस स्टेशन, वानी को एक सूचना भेजी कि प्रमिला नाम की एक महिला घायल हालत में अस्पताल में भर्ती हुई थी। वानी पुलिस स्टेशन के थानाधिकारी ने सुबह ही मृतका का मृत्यु पूर्व बयान दर्ज करने के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट को आवेदन भेजा। आवेदन प्राप्त होने पर, कार्यकारी मजिस्ट्रेट ग्रामीण अस्पताल, वाणी गए और सुबह लगभग 6-30 बजे मृतका का मृत्यु पूर्व बयान दर्ज किया। वाणी पुलिस स्टेशन के थानाधिकारी ने हेड कांस्टेबल अशोक दुधाने को भी ग्रामीण अस्पताल, वाणी जाने और मृतका का मृत्यु पूर्व बयान दर्ज करने का निर्देश दिया। आदेशानुसार, हेड कांस्टेबल अस्पताल गया और मृतक का मृत्यु पूर्व बयान दर्ज किया। मृत्यु पूर्व बयान की अन्तर्वस्तुत को देखने के बाद हैड कांस्टेबल खुद ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। हेड कांस्टेबल अशोक दुधाने द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर, थानाधिकारी, वाणी पुलिस स्टेशन ने अपीलकर्ता के खिलाफ भा0 दं0 सं0 की धारा 324 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपराध संख्या 195/1994 दर्ज किया। हेड कांस्टेबल अशोक दुधाने ने मृतका की चिकित्सा जांच के लिए ग्रामीण अस्पताल, वाणी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को एक पत्र जारी किया और तदनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा मृतका की जांच की गई। लेकिन, मृतका की हालत बिगड़ने लगी- इसलिए, उसे चंद्रपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां से उसे नागपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल रेफर कर दिया गया। यह जानने पर कि उसकी बहन को गंभीर चोटों के साथ नागपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उसका भाई ईश्वर संभाजी काहिरे उक्त अस्पताल में गया, जहां मृतका ने उसके सामने मौखिक मृत्युपूर्व बयान दिया कि

अपीलकर्ता ने उसे छड़ी से पीटा था क्योंकि उसने भरण-पोषण की कार्यवाही को वापस लेने के लिए डाले गये दबाव से सहमति नहीं दी।

अनुसंधान अधिकारी ने मौके का पंचनामा तैयार किया और अपराध में प्रयुक्त लोहे का चकला जब्त कर लिया। गौरतलब है कि मृतका ने अपने ऊपर डंडे से हमला करने का जिक्र किया था क्योंकि वह बिस्तर पर लेटी हुई थी और जब उस पर हमला किया तो वह हथियार को देख या पहचान नहीं सकी थी। घटनास्थल से खून से सनी चादर भी जब्त की गई। अनुसंधान अधिकारी ने उन व्यक्तियों के बयान दर्ज किए, जो मामले के तथ्यों से परिचित पाए गए। सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, नागपुर में मृतक को इलाज दिए जाने के बावजूद, 19 नवंबर 1994 को सुबह 10-30 बजे उसने दम तोड़ दिया। अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने पोस्टमार्टम किया। अनुसंधान अधिकारी अपीलकर्ता की तलाश कर रहे थे, लेकिन अपीलकर्ता फरार पाया गया। अंततः उसे 28 नवंबर, 1994 को गिरफ्तार कर लिया गया। जब्त किए गए अपराध में प्रयुक्त वस्तुओं को विश्लेषण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा गया। अनुसंधान पूर्ण होने पर, अपीलकर्ता पर भा0 दं0 सं0 की धारा 302 और 498 ए के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, वानी की अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया।

चूंकि भा0 दं0 सं0 की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध अनन्यत: सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से मामला विचारण हेतु सत्र न्यायालय, यवतमाल को सुपुर्द किया गया। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने भा0 दं0 सं0 की धारा 302 और धारा 498 ए के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप विरचित किये गये, जो प्रदर्श 18 है। आरोप अपीलकर्ता को पढकर सुनाया व समझाया गया। हालाँकि, अपीलकर्ता आरोप को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही। इसके पश्चात अभियोजन पक्ष ने 11 गवाहों को परीक्षित करवाया और दस्तावेजी साक्ष्य अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप

साबित करने के लिए पेश किए। गवाहों की परीक्षा समाप्त होने के बाद, विद्वान न्यायाधीश ने अपीलकर्ता को उसे अपराध में संलिप्त करने वाली उसके विरूद्ध आयी साक्ष्य को समझाया और उसके धारा 313 दं0 प्र0 सं0 के तहत कथन लेखबद्ध किये और अपीलार्थी ने स्वयं के विरूद्ध आयी साक्ष्य को गलत होना बताते हुए प्रतिरक्षा में साक्ष्य पेश करने से इन्कार किया।

अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों का विश्लेषण करने पर विद्वान न्यायाधीश ने माना कि अपीलकर्ता द्वारा भा0 दं0 सं0 की धारा 302 और 498 ए के तहत दंडनीय अपराध किया जाना अभियोजन द्वारा संदेह से परे साबित किया गया है। इसके बाद सजा के प्रश्न पर अपीलकर्ता और विद्वान लोक अभियोजक को सुना गया। अपीलकर्ता और विद्वान लोक अभियोजक को सुनने के बाद, विद्वान न्यायाधीश ने दिनांक 21 फरवरी, 2002 के निर्णय द्वारा भा0 दं0 सं0 की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए कठोर आजीवन कारावास और 500/- रुपये का जुर्माना, अदम अदायगी पर एक महीने के लिए अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई और भा0 दं0 सं0 की धारा 498 ए के तहत दंडनीय अपराध करने पर एक वर्ष का कठोर कारावास और 500/- रुपये का जुर्माना, अदम अदायगी पर एक महीने के लिए अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी।

जिससे व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने बॉम्बे उच्च न्यायालय, नागपुर बेंच, नागपुर में आपराधिक अपील संख्या 230/2002 की दायर की। खण्ड पीठ ने दिनांक 25 सितंबर 2006 को अपील खारिज कर दी, जिस पर वर्तमान अपील दायर की गयी।

न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों को विस्तार से सुना है। इस न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों का भी अवलोकन किया गया। उल्लेखनीय है कि विशेष अनुमति याचिका 5 सितंबर, 2007 को इस न्यायालय के समक्ष दर्ज की

सुनवाई के लिए रखी गई थी। यह पाया गया कि विशेष अनुमति याचिका दायर करने में लगभग 199 दिनों की देरी हुई थी। अपीलकर्ता के विद्वान वकील को सुनने के बाद, देरी को माफ कर दिया गया और अपराध की प्रकृति तक सीमित रखते हुए नोटिस जारी किया गया।

हालाँकि अपराध की प्रकृति तक सीमित रहते हुए नोटिस जारी किये गये थे, इस न्यायालय द्वारा पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य पर यह निश्चित करने के लिए विचार किया गया कि क्या अपीलकर्ता की दोषसिद्धि सही है। डॉ- विनोद अग्रवाल, जो सरकारी मेडिकल कॉलेज, नागपुर में फोरेंसिक मेडिसिन के लेक्चरर थे, की गवाही से पता चलता है कि उन्होंने मृतका प्रमिला पाटिल के शव का पोस्टमॉर्टम किया था। डॉक्टर ने अपने पुख्ता साक्ष्य में मृतका को लगी बाहरी व अंदरूनी चोटों का जिक्र किया है- चिकित्सा अधिकारी ने अपने बयान में कहा है कि मृतका के शरीर पर पाई गई सभी चोटें मृत्यु से पहले की थीं और प्रकृतिि के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं। डॉक्टर ने अपने द्वारा तैयार किए गए पोस्टमार्टम नोट्स भी पुष्टिकारक साक्ष्य के रूप प्रस्तुत किए थे, जिसमें मृतका को लगी बाहरी और आंतरिक चोटों का उल्लेख किया गया है। अपीलकर्ता का मामला यह नहीं है कि मृतका की मृत्यु खुद को लगी चोटों के कारण हुई थी या उसे लगी चोटें आकस्मिक या आत्मघाती थीं। इन परिस्थितियों में सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष कि मृतका की मृत्यु एक मानव वध के रूप में हुई थी, अत्यंत न्यायसंगत है और इसकी पुष्टि की जाती है।

जैसा कि पहले देखा गया था कि मृतका के दो मृत्युपूर्व बयान दर्ज किए गए थे- एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा और दूसरा हेड कांस्टेबल द्वारा। दोनों ही मृत्यु पूर्व बयानों में मृतका ने संबंधित घटना का सिलसिलेवार विवरण दिया है। दोनों मृत्यु पूर्व बयानों में उसने कहा था कि क्योंकि उसने अपीलकर्ता के खिलाफ शुरू की गई भरण-

पोषण की कार्यवाही को वापस लेने से इनकार कर दिया था, अपीलकर्ता ने 12 नवंबर, 1994 की सुबह उसके कमरे में प्रवेश किया था और उसके सिर पर छड़ी से वार किया था।- यह उस व्यक्ति के रूप में अपीलकर्ता की गलत पहचान का मामला नहीं है जिसने अपनी पत्नी पर हमला किया था क्योंकि पत्नी अपीलकर्ता को अच्छी तरह से जानती थी। मृत पत्नी के पास ऐसा कोई कारण नहीं था कि वह अपने पति को इतने गंभीर मामले में झूठा फंसाती और असली अपराधी को जाने देती। मृतका के पास अपीलकर्ता को पहचानने का हर अवसर था, जब दरवाजा अपीलकर्ता द्वारा खटखटाया गया था तब मृतका ने कमरे में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। संयोग से, यह उल्लेख किया जा सकता है कि सत्र न्यायालय के समक्ष दर्ज किए गए बाल गवाह संगम की गवाही से यह और अधिक स्पष्ट हो जाता है कि अपीलकर्ता ही वह व्यक्ति था जिसने मृतका के सिर पर चोट पहुंचाई थी। यद्यपि इस बाल गवाह से गहन जिरह की गई, लेकिन उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के लिए कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं लाया जा सका। बचाव पक्ष प्रथम दृष्टया यह भी स्थापित नहीं कर सका कि बाल गवाह ने अदालत के समक्ष घटना का सिखाया हुआ विवरण दिया था। उसके पहले के पुलिस बयान के संदर्भ में कोई बड़ा विरोधाभास और/या सुधार बिल्कुल भी प्रकाश में नहीं लाया जा सका। इस न्यायालय को बाल गवाह के साक्ष्य को सिरे से खारिज करने का कोई कारण नहीं मिला। रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों की पुनः विश्लेषण करने पर, इस न्यायालय ने पाया कि सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष कि अपीलकर्ता मृतका के सिर पर लगी घातक चोट का कारण था, पूर्णतया प्रमाणित है और इसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है।

अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि जब मृतका ने भरण-पोषण की कार्यवाही वापस लेने से इनकार कर दिया तो अपीलकर्ता को गंभीर और अचानक

प्रकोपन हुआ, जिसके कारण अपीलकर्ता अपनी आत्म-नियंत्रण की शक्ति से वंचित हो गया और केवल एक प्रहार किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः मृतका की मृत्यु हो गई और चूंकि अपीलकर्ता ने एक और प्रहार करके स्थिति का अनुचित लाभ नहीं उठाया था, इसलिए अपीलकर्ता द्वारा किया गया अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 300 के अपवाद 1 के अन्तर्गत आयेगा इसलिए अपीलकर्ता को भा0 दं0 सं0 की धारा 304 के भाग 1 या भाग 2 के तहत दण्डनीय अपराध के लिए ही दोषी ठहराया जा सकता है।

हालांकि विद्वान लोक अभियोजक ने यह तर्क दिया कि मृतका द्वारा कोई गंभीर और अचानक प्रकोपन नहीं दिया गया था और इसलिए, यह सुझाव देना ही गलत है कि अपीलकर्ता आत्म-नियंत्रण की शक्ति से वंचित हो गया था और जैसा कि अपीलकर्ता ने मृतका के शरीर के मर्म भाग, अर्थात् सिर पर पत्थर के चकले जिसे पोलपट के नाम से जाना जाता है, से बहुत जोर से एक वार किया, जिसके परिणामस्वरूप मृतका की मृत्यु हो गई, दोनों न्यायालयों ने अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराना उचित माना।

यद्यपि अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने इस तर्क की पुष्टि करने के लिए कुछ रिपोर्टेड निर्णय पेश किये हैं कि अपीलकर्ता द्वारा किया गया अपराध आईपीसी की धारा 304 के भाग I या भाग II के अंतर्गत आएगा, परंतु इस न्यायालय की राय है कि मामलों का निर्णय जो उसमें दिए गए सबूतों के आधार पर होते हैं, शायद ही आपराधिक मामलों में बाध्यकारी प्रकृति के होते हैं। इसके अलावा कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है कि जब भी एक ही प्रहार किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित की मृत्यु हो जाती है, तो मामला आईपीसी की धारा 304 के भाग I या भाग II के अंतर्गत आएगा। एकल प्रहार के प्रत्येक मामले का निर्णय मामले में प्राप्त तथ्यों और परिस्थितियों के

आधार पर किया जाना चाहिए। इसलिए, अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निर्णयों की विस्तृत व्याख्या नहीं की जा रही है।

यह भलीभांति स्थापित है कि जब भी किसी न्यायालय के सामने यह प्रश्न आता है कि क्या अपराध हत्या है या हत्या की कोटि में ना आने वाला आपराधिक मानव वध, तो मामले के तथ्यों के आधार पर उसके लिए तीन चरणों में समस्या का समाधान करना सुविधाजनक होगा। प्रथम चरण में विचारणीय प्रश्न यह होगा कि क्या अभियुक्त ने कोई ऐसा कार्य किया है जिसे करके वह दूसरे की मृत्यु का कारण बना है। अभियुक्त के कृत्य और मृत्यु के बीच इस तरह के कारणात्मक संबंध का प्रमाण के लिए दूसरे चरण की ओर जाना होता है, इस पर विचार करते हुए कि क्या अभियुक्त का वह कृत्य धारा 299 में परिभाषित आपराधिक मानव वध के बराबर है। यदि इस प्रश्न का उत्तर प्रथम दृष्टया सकारात्मक पाया जाता है तो आईपीसी की धारा 300 के क्रियान्वयन पर विचार करने का चरण आ गया है। यह वह चरण है जिस पर न्यायालय को यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किए गए तथ्य मामले को आईपीसी की धारा 300 में निहित हत्या की परिभाषा के चार खंडों में से किसी के दायरे में लाते हैं। यदि इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है, तो अपराध आईपीसी की धारा 304 के भाग I या भाग II के तहत दंडनीय हत्या की श्रेणी में नहीं आने वाला अपराध होगा, जो क्रमशः इस बात पर निर्भर करता है कि धारा 299 आईपीसी का दूसरा या तीसरा खंड लागू है या नहीं। यदि यह प्रश्न सकारात्मक पाया जाता है, लेकिन मामला आईपीसी की धारा 300 में उल्लिखित किसी भी अपवाद के अंतर्गत आता है, तो अपराध अभी भी धारा 304 आईपीसी के प्रथम भाग के तहत दंडनीय हत्या की श्रेणी में नहीं आने वाला अपराध होगा। उपरोक्त केवल व्यापक दिशानिर्देश हैं, न कि कठोर अनिवार्यताएं।

उपरोक्त व्यापक परीक्षणों को मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, इस न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष द्वारा यह संदेह से परे साबित किया गया है कि अपीलकर्ता ने मृतका के सिर पर चकले से वार करने का कृत्य किया था और ऐसा कृत्य करके, मृतका की मृत्यु का कारण बना। चिकित्सा अधिकारी, जिसने मृतका के शव का अंत:परीक्षण किया था, के सकारात्मक साक्ष्य स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि मृतका को लगी चोटें प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में उसकी मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थीं, जो मामले को भा0 दं0 सं0 की धारा 300 के खंड 'तीसरे' के दायरे में लाती है, जो परिभाषित करता है और बताता है कि कब आपराधिक मानव वध, हत्या है।

मामले के रिकॉर्ड से पता चलता है कि अपीलकर्ता का बचाव पूर्ण इनकार का है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 105 अभियुक्तों पर यह दर्शित करने के लिए सबूत का भार डालती है कि उनका मामला आईपीसी में दिए गए अपवादों में से एक के अंतर्गत आता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 में कहा गया है कि जहां किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगाया जाता है, तो उस मामले को भारतीय दंड संहिता के तहत किसी भी सामान्य अपवाद के भीतर या किसी विशेष अपवाद या किसी अन्य में निहित परंतुक के भीतर लाने वाली परिस्थितियों के अस्तित्व को साबित करने का भार उसी पर होगा और न्यायालय ऐसी परिस्थितियों की अनुपस्थिति की उपधारणा करेगा। उक्त धारा से जुड़ा दृष्टान्त 'ख' बताता है कि ए जो कि हत्या का आरोपी है, यह कथन करता है कि वह गंभीर व अचानक प्रकोपन से, आत्म-नियंत्रण की शक्ति से वंचित हो गया था; सबूत का भार ए पर है। जब अपीलकर्ता का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया था, तो उसने अपने मामले को धारा 300 आईपीसी के 'अपवाद 1' के भीतर लाने वाली परिस्थितियों के अस्तित्व का

उल्लेख नहीं किया था। इसलिए, न्यायालय का ऐसी परिस्थितियों के अभाव की उपधारणा करना उचित होगा।

यद्यपि अपीलकर्ता अपने मामले को धारा 300 के 'अपवाद 1' के अंतर्गत लाने वाली परिस्थितियों के अस्तित्व को साबित करने में विफल रहा, न्यायालय यह पता लगाने के लिए अभियोजन के साक्ष्य को देख सकती है कि क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 द्वारा डाला गया भार, संभावनाओं की प्रबलता द्वारा अपीलकर्ता द्वारा खत्म किया गया है। मृतका ने अपने दो मृत्यु पूर्व बयानों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि जब उसने भरण-पोषण की कार्यवाही वापस लेने की अपीलकर्ता की मांग को मानने से इनकार कर दिया, तो अपीलकर्ता ने उसके सिर पर पत्थर के चकले से वार किया था। धारा 300 के अपवाद 1 में कुछ प्रावधान हैं। पहले प्रावधान में कहा गया है कि प्रकोपन अपराधी द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या करने के लिए प्रतिहैतुक के रूप में इप्सित ना हो या स्वेच्छा से प्रकोपित नहीं हो। यहां इस मामले में पत्नी, जो अपीलकर्ता द्वारा उपेक्षित थी और अपना और अपने बेटे का भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं थी, अपीलकर्ता के खिलाफ भरण-पोषण की कार्यवाही शुरू करना उचित था। अपीलकर्ता इस बात पर जोर नहीं दे सकता था कि उसके खिलाफ कार्यवाही की गयी भरण-पोषण की कार्यवाही मृतका द्वारा वापस ले ली जानी चाहिए। इसके अलावा, जब एक महिला, जो अपने पति के खिलाफ भरण-पोषण की कार्यवाही शुरू करने की हकदार है, अपने पति द्वारा भरण-पोषण की कार्यवाही वापस लेने की की गई अनुचित मांग को मानने से इंकार कर देती है, तो यह मुश्किल से ही कहा जा सकता है कि ऐसी अनुचित मांग को मानने से इनकार करना आईपीसी की धारा 300 के 'अपवाद 1' के अर्थ में गंभीर और अचानक प्रकोपन होगा। किसी भी दृष्टिकोण में मामले के तथ्य स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि तथाकथित प्रकोपन को अपीलकर्ता ने अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए स्वेच्छया प्रकोपित किया था और

इसलिए, अपीलकर्ता धारा 300 भा0दं0सं0 के 'अपवाद 1' के प्रावधानों के लाभ का हकदार नहीं है।

रिकार्ड पर मौजूद साक्ष्यों से पता चलता है कि मृतका पूरी तरह से निहत्थी थी। अपीलार्थी ने मृतका के शरीर के मर्म भाग अर्थात सिर पर चकले से वार किया था और वार इतनी ज़ोर से किया था कि उसकी मृत्यु हो गई। अपीलकर्ता का मामला यह नहीं है कि मृतका के सिर पर चोट आकस्मिक थी और न ही अपीलकर्ता का मामला यह है कि प्रहार शरीर के किसी अन्य हिस्से पर किया गया था और यह अचानक हस्तक्षेप या विरोध जैसे पर्यवेक्षणीय कारण के कारण मृतका के सिर पर वार किया गया। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर यह मानना होगा कि अपीलकर्ता का आशय ऐसी चोट पहुंचाने का था जो अंततः घातक साबित हुई। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, चिकित्सा साक्ष्य से पता चलता है कि चोटें मृत्यु का कारण बनने के लिए प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में पर्याप्त थीं और इसलिए, अपीलकर्ता द्वारा किया गया अपराध भा0दं0सं0 की धारा 302 के तहत हत्या के रूप में दंडनीय होगा और उसका मामला धारा 304 आईपीसी के पहले भाग या दूसरे भाग के तहत नहीं आएगा।

उपरोक्त विश्लेषण का परिणाम यह है कि अपील में कोई सार नहीं है और इसे खारिज करना होगा।

तद्नुसार अपील विफल हो गयी है और खारिज की जाती है।

बी.बी.बी. अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रेशमा जानवानी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्येश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्येश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्येश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।